निर्णय वइजलास श्री रामसिंह गुर्जर आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी छबडा जिला बारां द्वारा अध्यासित

प्रकरण संख्या 159/2024
दायरा दिनांकः—11.11.2024
निर्णय दिनांकः—30.5.25

उनवान

1. कस्तुरी बाई आयु 94 वर्ष पत्नि मोतीलाल जाति किराड निवासी बटावदापार तहसील छबडा जिला बारां (राज0)

बनाम

1. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार तहसील छबडा जिला बारां (राज0)

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88,89,91,आर0 टी0 एक्ट0

निर्णय दिनांकः—30.5.25

अभिभाषक उपस्थितः—1. श्री टीकमचन्द ढोडरिया — प्रार्थी

अभिभाषक वादी द्वारा वाद पत्र अन्तर्गत धारा, 88, 89 ,91 आर0टी0एक्ट0 विरूद्ध प्रतिवादीगण के न्यायालय मे इस आशय का पेश किया गया है कि ग्राम बटावदापार तहसील छबड़ा में भूमि खसरा नंबर 195 रकबा 1.1128 हैक्टेयर वादिया के खातेदारी एवं कब्जे काश्त में चली आ रही है। जमाबंदी में माफियात कस्तुरीबाई पत्नी मोतीलाल हिस्सा पूर्ण जाति किराड़ साकिन देह माफियात रिज्यूमशन दर्ज हो रहा है। Raj Land reforms and resumtion jagirs act (राजस्थान भूमि सुधार तथा जागीर पुर्नग्रहण अधिनियम 1952) के प्रावधानों के अंतर्गत माफी की जमीनों पर कानूनन खातेदारी अधिकार प्रदान किए जा चुके हैं। इस कारण अब राजस्व रिकार्ड में माफियात रिज्यूमशन एक अनावश्यक अंकन है। राजस्व रिकार्ड में पहले माफियात का अंकन होता था। इस एक्ट के प्रावधान लागू होने पर माफियातं रिज्यूम हो गई तो माफियात रिज्यूमशन के नोट लगा दिए गए थे। जिन्हें राजस्व रिकार्ड जमाबंदी आदि से हटाया जाना आवश्यक है। वाद में वर्णित भूमि इस एक्ट के प्रावधान लागू हुए, उस समय के पूर्व से ही वादिया के कब्जे काश्त में चली आ रही है। इस एक्ट के प्रावधान लागू हुए, तब भी वादिया के कब्जे काश्त में ही थी। वादिया इस भूमि की कानूनन खातेदार कृषक है। वह स्वयं को वाद में वर्णित भूमि की खातेदार कृषक घोषित कराने की अधिकारिणी है तथा इसके राजस्व रिकार्ड जमाबंदी आदि में अंकित नोट माफियात व माफियात रिज्यूमशन को हटवाने की अधिकारिणी है। वादिया ने दिनांक 04.09.2024 को तहसीलदार छबडा से जमाबन्दी राजस्व सरकार रिकार्ड से माफियात तथा माफियात रिज्यूमशन का नोट हटवाने के लिए निवेदन किया तो उन्होंने सक्षम न्यायालय में वाद प्रस्तुत करने को कहा। वादिया ने वाद प्रस्तुत करने से पूर्व राजस्थान राज्य

द्वारा जिला कलेक्टर महोदय बारां को धारा 80 सी०पी०सी० का नोटिस दिनांक 07.09.24 को प्रेषित कर दिया है। जिसकी समयावधि भी समाप्त हो चुकी है। वाद कारण दिनांक 04.09.2024 को वादिया द्वारा श्रीमान तहसीलदार महोदय छबड़ा से वाद में वर्णित भूमि के राजस्व रिकार्ड, जमाबंदी आदि में माफियात व ष्माफियात रिज्यूमशनष् का नोट हटाने की कहने पर उनके द्वारा सक्षम न्यायालय में वाद प्रस्तुत करने की कहने पर तथा वाद प्रस्तुत करने से पूर्व राजस्थान राज्य को धारा 80 सी०पी०सी० का नोटिस दिनांक 07.09.2024 को प्रेषित करने तथा उसकी समयावधि समाप्ति के उपरांत भी उनके द्वारा कोई कार्यवाही नहीं करने पर उत्पन्न हुआ।

वादीया का वाद दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जर्ये सम्मन तलब किया गया। वादीया द्वारा अपने पक्ष के समर्थन में नकल जमाबन्दी ग्राम बटावदापार सम्वत् 2074–77 खाता संख्या 457 आधार कार्ड कस्तुरी बाई नकल जमाबन्दी ग्राम बटावदापार सम्वत् 2070–73 खाता संख्या 455 नकल जमाबन्दी ग्राम बटावदापार सम्वत् 2066–68 खाता संख्या 414 नकल जमाबन्दी ग्राम बटावदापार सम्वत् 2062–65 खाता संख्या 385 नकल जमाबन्दी ग्राम बटावदापार सम्वत् 2058–61 नकल जमाबन्दी ग्राम बटावदापार सम्वत् 2054–57 खाता संख्या 305 नकल जमाबन्दी ग्राम बटावदापार सम्वत् 2053–53 खाता संख्या 296 नकल जमाबन्दी ग्राम बटावदापार सम्वत् 2046–49 खाता संख्या 280 नकल जमाबन्दी ग्राम बटावदापार सम्वत् 2042–45 खाता संख्या 281 नकल जमाबन्दी ग्राम बटावदापार सम्वत् 2037–40 खाता संख्या 278 नकल जमाबन्दी ग्राम बटावदापार सम्वत् 2033–36 खाता संख्या 211 नकल जमाबन्दी ग्राम बटावदापार सम्वत् 2017–20 खाता संख्या 193 नकल जमाबन्दी ग्राम बटावदापार सम्वत् 2012 खाता संख्या 191 नकल जमाबन्दी ग्राम बटावदापार सम्वत् 2021–24 खाता संख्या 187 पेश की गई साक्ष्य वादी में PW1 कस्तुरी बाई के बयान करायें गयें।

बहस अभिभाषक वादीया सुनी गई बहस के दौरान वकील वादीया द्वारा वाद पत्र में अंकित तथ्यों को दौहराया गया। वकील वादीया का कथन है कि विवादित आराजी वाके ग्राम बटावदापार तहसील छबडा में स्थित है। जो वादिया के खातेदारी एवं कब्जे काश्त में चली आ रही है राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में कस्तुरी पत्नि मोतीलाल माफियात रिज्यूमशन दर्ज हो रहा है राज0 भूमि सुधार तथा जागीर पुर्नग्रहण अधिनियम 1952 के प्रावधानों के अन्तर्गत माफी की जमीनों पर कानूनन खातेदारी अधिकार प्रदान किए जा चुके है राजस्व रिकार्ड में रिज्यूमशन एक अनावश्यक अंकन है भूमि में खातेदार के साथ पहलें माफियात का अंकन होता था परन्तु इस एक्ट के प्रावधान लागु होने पर माफियात रिज्यूम हो गई तो माफियात रिज्यूमशन के नोट लगा दिये गये। जिन्हे राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी से हटाया जाना आवश्यक है वादिया इस भूमि का कानूनन खातेदार कृषक है वादिया का वाद स्वीकार किया जावें।

तहसीलदार छबडा से इस सम्बन्ध में रिपोर्ट ली गई तहसीलदार छबडा ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि ग्राम बटावदापार तहसील छबडा में वादिया के कब्जे काश्त की भूमि खसरा नम्बर 195 रकबा 1.1128 है0 भूमि

उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा (बारां)

वादिया कस्तुरी बाई पत्नि मोतीलाल जाति किराड हिस्सा पूर्ण दर्ज जिसमें वर्तमान में माफी रिज्यूमशन शब्द लगा हुआ है। खसरा नम्बर 195 रकबा 1.1128 है0 भूमि पर माफियात रिज्यूमशन शब्द सेटलमेन्ट जमाबन्दी से ही दर्ज चला आ रहा है वाद पत्र में वर्णित भूमि सेटमेन्ट से ही चतुर्भज पुत्र लक्ष्मीचन्द जाति ब्राहम्ण सा0देह के नाम माफियात रिज्यूमशन दर्ज थी जो कि नामान्तरण संख्या 336 दिनांक 12.07. 1985 जर्ये बेचान से वादिया कस्तुरी बाई पत्नि मोतीलाल जाति किराड के नाम माफियात रिज्यूमशन में दर्ज हो चुकी है। तब से लेकर आदिनांक तक उक्त भूमि वादिया के नाम से ही चली आ रही है भूमि पर वादिया का निरन्तर कब्जा काश्त चला आ रहा है। भूमि अब्दुल रहमान प्रकरण से प्रभावित नही है उक्त भूमि SC/ST जमीन का SC/ST से अन्य को हस्तान्तरित नही हुई है।

बहस अभिभाषक वादीया सुनी गई। पत्रावली एवं रिकार्ड का अवलोकन किया गया। वादीया द्वारा प्रस्तुत नकल जमाबन्दी ग्राम बटावदापार सम्वत् 2074–77 खाता संख्या 457 में खातेदार कस्तुरी बाई पत्नि मोतीलाल जाति किराड माफियात रिज्यूमशन दर्ज है नकल जमाबन्दी ग्राम बटावदापार सम्वत् 2070–73 खाता संख्या 455 सम्वत् 2066–68 खाता संख्या 414 सम्वत् 2062–65 खाता संख्या 385 सम्वत् 2058–61 खाता संख्या 350 नकल जमाबन्दी ग्राम बटावदापार सम्वत् 2054–57 खाता संख्या 305 नकल जमाबन्दी ग्राम बटावदापार सम्वत् 2050–53 खाता संख्या 296 सम्वत् 2046–49 खाता संख्या 280 सम्वत् 2042–45 खाता संख्या 281 में कस्तुरी बाई पत्नि मोतीलाल जाति किराड सा0देह दर्ज है जिसमें नाम के साथ रिज्यूमशन दर्ज चला आ रहा है नकल जमाबन्दी ग्राम बटावदापार सम्वत् 2036–40 में चतुर्भज पुत्र लक्ष्मीचन्द कोम ब्राहम्ण रिज्यूमशन माफियात दर्ज है जमाबन्दी के कॉलम संख्या 16,17 में नामान्तरण संख्या 336 से कस्तुरी बाई पत्नि मोतीलाल किराड का नाम दर्ज होने का नोट अंकित है नकल जमाबन्दी ग्राम बटावदापार सम्वत् 2017–20 में माफी पटेलाई बाबू रामचन्द पुत्र लक्ष्मीचन्द कोम ब्राहम्ण नकल जमाबन्दी ग्राम बटावदापार सम्वत् 2013–16 सम्वत् 2012 में माफी पटेलाई लक्ष्मीचन्द पुत्र खुशालीराम कोम ब्राहम्ण सा0देह दर्ज रिकार्ड है उक्त भूमि लक्ष्मीचन्द के खातेदारी की थी उनके मरने के बाद रामचन्द व चतुर्भज के खातेदारी में दर्ज हुई चतुर्भज द्वारा भूमि का बेचान वादिया को किया गया जो नामान्तरण संख्या 336 से वादिया के खातेदारी में दर्ज हुई। यह स्पष्ट है कि उक्त भूमि माफियात रिज्यूमशन में दर्ज खातेदार के द्वारा विधिक बेचान/हस्तान्तरण किया गया है। इसी आधार पर नामान्तरण दर्ज हुए है परन्तु वर्तमान में नामान्तरण की प्रक्रिया ऑनलाईन होने के कारण नामान्तरण खोलने की समस्या आ रही है एवं रिकार्ड दुरूस्त नही हो पा रहा है।

इस वाद को निर्णित करने हेतु यहां जागीरदारी एक्ट की धारा 9 एवं आ0टी0एक्ट की धारा 15 विचारणीय है :–

जागीरदारी एक्ट की धारा–9 :– "जागीर भूमि के प्रत्येक काश्तकार को जो अधिनियम के प्रारम्भ के समय राजस्व अभिलेखों में एक खातेदार,पट्टेदार,खादिमदार के रूप में या की अन्य रूप में जिसमें यहां अन्तहित हो कि काश्तकार को काश्तकारी में आनुवंशिक और पूर्ण अन्त के अधिकार प्राप्त है,दर्ज है। ऐसे अधिकार प्राप्त रहेगें और वह ऐसी भूमि के सम्बन्ध में खातेदार काश्तकार कहलायेगा "

उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा (बारां)

आ0टी0एक्ट की धारा–15 :– प्रत्येक व्यक्ति जो इस अधिनियम के प्रारम्भ के समय भूमि के शिकमी आसामी या खुदकाश्त के आसामी के अलावा अन्य प्रकार का आसामी हो या जो, इस अधिनियम के प्रारम्भ के पश्चात् शिकमी आसामी या खुदकाश्त के आसामी या राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 (राजस्थान अधिनियम 15 सन् 1956) की धारा 101 के अन्तर्गत बनाये गये नियमों के अधीन तथा उनके अनुसरण में भूमि का आवंटिती के अतिरिक्त आसामी की हैसियत से प्रविष्ट कर लिया जाय अथवा जो इस अधिनियम के या राजस्थान लैण्ड रिफार्म्स एण्ड रिज्युमशन ऑफ जागीर्स एक्ट 1952 (राज. एक्ट 6, सन् 1952) के अथवा तत्समय प्रवृत्त अन्य किसी विधि के उपबन्धों के अनुसरण में भूमि खातेदारी अधिकार अर्जित करता है खातेदार आसामी होगा, और इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन रहतें हुए इस अधिनियम द्वारा खातेदार आसामी को प्रदत्त समस्त अधिकारों का हकदार होगा तथा आरोपित समस्त दायित्वों के अधीन रहेगा।

उपरोक्त के क्रम में ,इस प्रकरण में वादी पूर्व में खातेदार था तथा तहसीलदार की रिपोर्ट के अनुसार वादी का लगातार कब्जा काश्त रहा है। तथा माफी रिज्यूम होने से वादी को किसी प्रकार का ऋण आदि का लाभ नही मिल पा रहा है जिससें वादी को समस्याओं का सामना करना पड रहा है। अतः जमाबन्दी से माफी रिज्युमशन हटाया जाना न्यायाहित में आवश्यक है। वादी का वाद स्वीकार किया जाना न्यायोचित है।

:: क्रियात्मक आदेश ::

उपरोक्त विवेचनानुसार वादीया का वाद स्वीकार किया जाता है विवादित आराजी वाके ग्राम बटावदापार तहसील छबडा के खसरा नम्बर 195 रकबा 1.1128 है0 भूमि में वादिया के नाम से माफियात रिज्यूमशन शब्द को हटाने के आदेश तहसीलदार छबडा को दिये जातें है। तद्नुसार डिक्री पर्चा जारी हों।

निर्णय लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(रामसिंह गुर्जर)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी, छबडा

उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा (बारां)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, छबडा जिला बारां (राज0)

डिक्री

वाद संख्या 159 / 2024	धारा 88,89,91,आर टी एक्ट	निर्णय दिनांक:– 30.05.2025
समक्ष : श्री रामसिंह गुर्जर आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी, छबडा जिला बारां		
उपस्थिति :अभिभाषकवादी:–श्री टीकमचन्द ढोडरिया		अभिभाषक प्रतिवादी:–

वाद शीर्षक

उनवान

1. कस्तुरी बाई आयु 94 वर्ष पत्नि मोतीलाल जाति किराड निवासी ग्राम बटावदापार तहसील छबडा जिला बारां (राज0)

बनाम

1. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार तहसील छबडा जिला बारां (राज0)

निर्णयार्थ प्रस्तुत वाद में यह आदेशित किया जाता है और तद्नुरूप डिकी निर्गत की जाती है कि

वादीया का वाद स्वीकार किया जाता है विवादित आराजी वाके ग्राम बटावदापार तहसील छबडा के खसरा नम्बर 195 रकबा 1.1128 है0 भूमि में वादिया के नाम से माफियात रिज्यूमशन शब्द को हटाने के आदेश तहसीलदार छबडा को दिये जातें है।

साथ ही नियमानुसार ..... रू0 का व्ययानुतोष ..... द्वारा ..... को प्रदान किया जाए।

उक्त आदेश मेरे हस्ताक्षर एव न्यायालय की मुद्रा के साथ आज दिनांक 30.05.2025 को निर्गत किया गया।

उपखण्ड अधिकारी,
छबडां जिला–बारां

व्ययानुतोष			
क्र.सं.	व्यय मद	वादी	प्रतिवादी
1.	वदपत्र / लिखित कथन		
2.	अभिभाषकपत्र (स्टाम्प+लिखितसामग्री व्यय)		
3.	साक्ष्य पत्रक (स्टाम्प+लिखितसामग्री व्यय)		
4.	प्रार्थनापत्र (स्टाम्प+लिखितसामग्री व्यय)		
5.	पारिश्रमिकअभिभाषक		
6.	व्यय साक्षी		
7.	फीसकमिश्नर		
8.	अन्य / क्षतिपूर्ति		
9.	ब्याज (:)		
10.	योग		